अध्याय-2

इस अधिनियम के अधीन नियुक्त या गठित किए जाने वाले प्राधिकारी

3. **निदेशक और अन्य अधिकारियों की नियुक्ति --** (1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए:-

(क) एक वन्यजीव परिरक्षण निदेशक;

(ख) [विलोपित]

(ग) ऐसे अन्य अधिकारी और कर्मचारी आवश्यक हों;

(2) निदेशक इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन अपने कत्र्तव्यों का पालन करने में और अपनी शक्तियों का प्रयोग करने में ऐसे साधारण या विशेष निर्देशों के अधीन होगा, जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर दें।

(3) इस धारा के अधीन नियुक्त किए गए अधिकारी और अन्य कर्मचारी निदेशक की सहायता करने के लिए अपेक्षित होंगे।

4. मुख्य वन्य जीव संरक्षक और अन्य अधिकारियों की नियुक्ति -- (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए --

(क) एक मुख्य वन्यजीव संरक्षक;

(ख) वन्यजीव संरक्षक;

(ख) अवैतनिक वन्यजीव संरक्षक;

(ग) ऐसे अधिकारी और कर्मचारी, जो आवश्यक हों, नियुक्त कर सकेगी।

(2) मुख्य वन्यजीव संरक्षक, इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन कत्र्तव्यों का पालन करने में और अपनी शक्तियों का प्रयोग करने में ऐसे साधारण या विशेष या निर्देशों के अधीन होगा, जो राज्य सरकार समय-समय पर दें।

(3) इस धारा केअधीन नियुक्त वन्यजीव संरक्षक, अवैतनिक वन्यजीव संरक्षक और अन्य अधिकारी और कर्मचारी मुख्य वन जीव संरक्षक के अधीनस्थ होंगे।

5. प्रत्यायोजन करने की शक्ति -- (1) निदेशक, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, लिखित आदेश द्वारा, इस अधिनियम के अधीन अपनी समस्त या कुछ शक्तियों को अपने किसी अधीनस्थ अधिकारी को, ऐसी शर्तों के, यदि कोई हों, आधीन रहते हुए जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, प्रत्यायोजित कर सकेगा।

(2) मुख्य वन्यजीव संरक्षक, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से लिखित आदेश द्वारा धारा 11 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्तियों और कत्र्तव्य को अपने किसी अधीनस्थ अधिकारी को, ऐसी शर्तों के, यदि कोई हों, अधीन रहते हुए जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, प्रत्यायोजित कर सकेगा।

(3) निदेशक या मुख्य वन्यजीव संरक्षक द्वारा दिए गए किसी साधारण या विशेष निर्देश के या उसके द्वारा अधिरोपित किस किश्सी शर्त के अधीन रहते हुए कोई व्यक्ति, जो किन्ही शक्तियों का प्रयोग करने के लिए निदेशक या मुख्य वन्यजीव संरक्षक द्वारा प्राधिकृत है, उन शक्तियों का प्रयोग उसी रीति से और वैसे ही प्रभाव के साथ करेगा मानो वे उस व्यक्ति की प्रत्ययोजन द्वारा नहीं अपितु इस अधिनियम द्वारा सीधे प्रदत्त की गई हों।

5क. वन्य जीव के लिए राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का गठन-- (1) केन्द्रीय सरकार, वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम 2002 के प्रारंभ से तीन मास के भीतर राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का गठन करेगी, जो निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात्:-

(क) अध्यक्ष के रुप में प्रधानमंत्री;

(ख) उपाध्याय के रुप में वन और वन्यजीव का भारसाधक मंत्री;

(ग) संसद के तीन सदस्य, जिनमें से दो लोक सभा से तथा एक राज्य सभा से होगा;

(घ) सदस्य, योजना आयोग में वन और वन्यजीव का भारसाधक;

(ड) केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले गौर-सरकारी संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले पांच व्यक्ति;

(च) केन्द्रीय सरकार द्वारा सुविख्यात संरक्षण विज्ञानी, पारिस्थितिकी विज्ञानी तथा पर्यावरण विज्ञानियों में से नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले दस व्यक्ति;

(छ) वन और वन्यजीव से संबंधित भारत सरकार में केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग का भारसाधक सचिव;

(ज) थल सेना अध्यक्ष;

(झ) भारत सकरार के रक्षा मंत्रालय का भारसाधक सचिव;

(ञ) भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय का भारसाधक सचिव;

(ट) भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग का भारसाधक सचिव;

(ठ) भारत सरकार के जनजाति कल्याण मंत्रालय का सचिव;

(ड) वन और वन्यजीव से संबंधित केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय का विभाग का वन महानिदेशक;

(ढ) पर्यटन महानिदेशक, भारत सरकार;

(ण) महानिदेशक, भारतीय वन अनुसंधान और शिक्षा परिषद , देहरादून;

(त) निदेशक, भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून;

(थ) निदेशक, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण;

(द) निदेशक, भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण;

(ध) निदेशक, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान;

(न) सदस्य-सचिव, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण;

(प) निदेशक, राष्ट्रीय महासागर विज्ञान संस्थान;

(फ) इस राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों से प्रत्येक में से चक्रानुक्रम के आधार पर केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाले एक-एक प्रतिनिधि;

(ब) निदेशक, वन्यजीव परिरक्षण जो राष्ट्रीय बोर्ड का सदस्य-सचिव होगा।

(2) उन सदस्यों से, भिन्न सदस्यों की पदावधि, जो पदेन सदस्या हैं, उपधारा (1) कते खण्ड (ग), खण्ड (ड), खण्ड (च) और खण्ड (फ) में निर्दिष्ट रिक्तियों को भरने की रीति और राष्ट्रीय बोर्ड सदस्यों द्वारा उनके कृत्यों के निर्वहन में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया होगी जो विहित की जाए।

(3) सदस्य (पदेन सदस्यों के सिवाय) अपने कर्त्तव्यों के निष्पादन में उपगत खर्चों की बाबत ऐसे भत्ते प्राप्त करने के हकदार होंगे, जो विहित किए जाएं।

(4) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, राष्ट्रीय बोर्ड के सदस्य का पद लाभ का पद नहीं समझा जाएगा।

5ख. राष्ट्रीय बोर्ड की स्थायी समिति-- (1) राष्ट्रीय बोर्ड, अपने विवेकानुसार, ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने और ऐसे कत्तव्यों का अनुपालन करने के प्रयोजन के लिए, जो राष्ट्रीय बोर्ड द्वारा समिति का प्रत्योजित किए जाऐं, एक स्थायी समिति गठित कर सकेगा।

(2) स्थायी समिति उपाध्यक्ष, सदस्य-सचिव राष्ट्रीय बोर्ड के सदस्यों में से उपाध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले 10 से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी।

(3) राष्ट्रीय बोर्ड उसका सौंपे गए कृत्यों के उचित निर्वहन के लिए समय-समय पर जैसा भी आवश्यक हो, समितियां, उप-समितियां या अध्ययन समूह गठित कर सकेगा।

5ग. राष्ट्रीय बोर्ड के कृत्य-- (1) राष्ट्रीय बोर्ड का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसे उपायों द्वारा, जो वह ठीक समझे, वन्य जीव वनों के संरक्षण और विकास का संवर्धन करें।

(2) पूर्वगामी उपबंधों की व्यपकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इसमें निर्दिष्ट उपाय निम्नलिखित के लिए किए जा सकेंगे --

(क) वन्यजीव संरक्षण का संवर्धन करने के लिए और वन्यजीव और इसके उत्पादों का शिकार करने, चोरी करने या उसके अवैध व्यापार पर प्रभावी नियंत्रण करने के लिए नीतियां बनाना तथा केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों को अर्थोपाय के संबंध में सलाह देना;

(ख) राष्ट्रीय उपवनों, अभ्यारण्यों और अन्य संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना और प्रबंध तथा उन क्षेत्रों में क्रियाकलाप पर निर्बंधन से संबंधित विषयों पर सिफारिशें करना;

(ग) वन्यजीव या इसके वास्थलों से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं और क्रियाकलापों का प्रभावी मूल्यांकन करना या करवाना;

(घ) देश में वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में हुई प्रगति का समय-समय पर पुनर्विलोकन करना और उनके सुधार के लिए उपाय सुझाना जो आवश्यक हों; और

(ड) कम से कम दो वर्ष से एक बार देश में वन्यजीव पर प्रास्थिति रिपोर्ट तैयार करना और से प्रकाशित करवाना।

6. राज्य वन्यजीव बोर्ड का गठन -- (1) राज्य सरकार वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2002 के प्रारंभ होने की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर एक राज्य वन्यतीव बोर्ड गठित करेगी जो निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात्:-

(क) राज्य मुख्यमंत्री और संघ राज्यक्षेत्र की दशा में, यथास्थिति, मुख्यमंत्री या प्रशासन-- अध्यक्ष;

(ख) वन और वन्यजीव का भारसाधक मंत्री-- उपाध्यक्ष;

(ग) राज्य विधान-मंडल के तीन सदस्य या विधान-मंडल सहित संघ राज्य क्षेत्र की दशा में, संघ राज्क्षेत्र की विधान सभा के दो सदस्य;

(घ) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वालेवन्यजीव से संबंधित गैर-सरकार संगठनों का प्रतिनिलधित्व करने के लिए तीन व्यक्ति;

(ड) राज्य सरकार द्वारा सुविख्यात संरक्षण विज्ञानियों, पारिस्थितिकी विज्ञानियों और पर्यावरण विज्ञानियों, जिसके अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति के कम से कम दो प्रतिनिधि भी हैं, में से नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले दस व्यक्ति;

(च) यथास्थिति, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र सरकार के वन और वन्यजीव का भारसाधक सचिव;

(छ) राज्य वन विभाग का भारसाधक अधिकारी;

(ज) राज्य सरकार के जनजाति कल्याण विभाग का सचिव;

(झ) प्रबंध निदेशक, राज्य पर्यटन विकास निगम

(त्र) राज्य के पुलिस विभाग का एक अधिकारी जो महानिरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो;

(ट) केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला सशस्त्र बलों का एक प्रतिनिधि जो ब्रिगेडियर की पंक्ति से नीचे का न हो;

(ठ) निदेशक, राज्य पशु पालन विभाग;

(ड) निदेशक, राज्य मत्स्य विभाग;

(ढ) निदेशक, वन्यजीव परिरक्षण द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला एक अधिकारी;

(ण) भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून का एक प्रतिनिधि;

(त) भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण का एक प्रतिनिधि;

(थ) भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण का एक प्रतिनिधि;

(द) मुख्य वन्यजीव संरक्षक, जो सदस्य-सचिव होगा।

(2) पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों की पदावधि और उपधारा (1) के खण्ड (ग) और खण्ड (ड) में निर्दिष्ट रिक्तियों को भरने की रीति तथा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ऐसी होगी जो विहित की जाए।

(3) सदस्य (पदेन सदस्यों के सिवाय) अपने कत्र्तव्यों के निष्पादन में उपगत खर्चों की बाबत ऐसे भत्ते प्राप्त करने के हकदार होंगे जो विहित किए जाएं।

7. बोर्ड द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया -- (1) बोर्ड का अधिवेशन वर्ष में कम से कम दो बार ऐसे स्थान पर होगा जो राज्य सरकार निर्देश दें।

(2) बोर्ड अपनी प्रक्रिया (जिसके अन्तर्गत गणपूर्ति है) स्वयं विनियमित करेगा।

(3) बोर्ड का कोई भी कार्य या कार्यवाही केवल उसमें किसी रिक्ति के विद्यमान होने या उसके गठन में किसी त्रुटि या बोर्ड की प्रक्रिया में किसी अनियमितता के कारण जिससे मामले के गुणागुण पर कोई पभाव नहीं पड़ता है, अविधिमान्य नहीं होगी।

8. राज्य वन्यजीव बोर्ड के कर्त्तव्य-- राज्य वन्यजीव बोर्ड का कत्तव्य राज्य सरकार को :-

(क) उन क्षेत्रों के चयन और प्रबंध के बारे में जिन्हें संरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाता है;

(ख) वन्यजीव और विनिर्दिष्ट पादपों के परिरक्षण और संरक्षण के लिए नीति निर्धारित करने में;

(ग) किसी अनुसूची के संशोधन से संबद्ध किसी विषय के बारे में;

(गग) जनजातियों और वन्य वनवासियों की आवश्यकताओं तथा वन्यतीव के परिरक्षण और संरक्षण के बीच सामंजस्य थापित करने के लिए किए जाने वाले उपयों के संबंध में, और

(घ) वन्यजीव के संरक्षण से संबंधित किसी अन्य विषय के बारे में जो उसे राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जाए, सलाह देना होगा ।